प्रेस नोट

***जनपद-संतकबीरनगर ***

दिनाँक 19.09.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 850/2025 धारा 64(1), 115(2), 333, 352, 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अरबाज अहमद पुत्र नबी हुसैन निवासी रायपुर छपिया उर्फ ठोका थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 19.09.2025 को भुवरिया रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 18.09.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ दुष्कर्म करने तथा गाली व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 19.09.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, का0 रंजन राजभर।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी नाम पता आरती देवी पत्नी यदुनाथ साकिन नरायनपुर थाना धनघटा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अनिल कुमार राय, म0का0 प्रतिमा यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5263 द्वारा मारपीट/ विवाद में घायल 04 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5263 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत छगुलिया से कालर द्वारा मारपीट विवाद में घायल 04 व्यक्तियो (1.फौजदार पुत्र निमल मौर्या 2. गोरख मौर्या पुत्र फौजदार 3. भिना देवी पत्नी फौजदार 4. कृष्णा पुत्र फौजदार ग्राम छगुलिया थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 सेमरियावा भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 सूरज भारती, हो0चा0 चन्द्रभान चौहान।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 197 वाहनों से 2,13,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 19.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 197 वाहनों से 2,13,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के अपराध में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 19.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 169/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल साहनी पुत्र दरशू साहनी निवासी गगनई बाबू थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 22.07.2020 को मोहिया पुलिया के पास 05 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक के कारावास व 03-03 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 19.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 03-03 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 163/01 धारा 323/325/504 भा0द0वि0 थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.सुरेश पुत्र उदयराज 02.त्रिभुवन पुत्र सीताराम निवासीगण कुसौना कला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 09.12.2001 को वादिनी गुलइचा पत्नी श्रीकान्त निवासी कुसौना थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर के साथ मारपीट की गयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में 500-500 रु0 के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का कारावास, धारा 325 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000-200 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास, धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में 500-500 रु0 के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 02 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व 05-05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 19.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 02 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व 05-05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 385/15 धारा 3/5ए/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. जमुना पुत्र गब्बू 02. मंगरु पुत्र दुबर निवासीगण मधईपुर बढ़या थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 18.09.2016 को 02 बैलों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 3/5ए/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1550-1550 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 19.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी /एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1550-1550 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 09/02 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. हासिम मिया उर्फ मुलाजिम पुत्र रमजान 02. राजवंशी यादव पुत्र गेना यादव 03. हजारी गुप्ता पुत्र विक्रम निवासीगण रेजहा थाना रेजहा जनपद बेतिया राज्य बिहार को दिनांक 09.01.2002 को बढ़या ठाठर के पास 09 राशि बैलों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 3/5ए/8 सी0एस0 एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500-1500 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में 50-50 रु0 के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के अपराध में अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 19.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 336/18 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्ता सरोज पत्नी राजदेव निवासी चिरैयाडाड़ थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 16.12.2018 को तुलसीपुर पुलिया के पास 04 पाउच में 20 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्ता उपरोक्त को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 19.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्त को मारपीट के मामले में जेल में बिताई गयी अवधि व 02 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 सी-17/2003 धारा 323/325/452/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त बकरीदी पुत्र सफीउल्लाह निवासी गोलाबाजार मुखलिसपुर रोड़ कस्बा खलीलाबाद थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 05.02.2003 को वादिनी श्रीमती सोना देवी पत्नी मो0 हारुन निवासी गोला बाजार मुखलिसपुर रोड थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीनगर के साथ मारपीट की गयी थी। अभियुक्त उपरोक्त को 323/325/452/504/506 भा0द0वि0 के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 19.09.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, संतकबीरनगर* के मा0 न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार पंचम** द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास अवधि व 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 209/2020 धारा 363/302/201/376AB/377 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त लाल बहादुर केवट पुत्र राममिलन निवासी अकलोहना राजेबोहा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 04.11.2020 को वादी की नाबालिग पुत्री को उठाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना कारित की गयी व हत्या कर दी गयी थी। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भा0द0वि0 के अपराध में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 302 भा0द0वि0 के अपराध में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 201 भा0द0वि0 के अपराध में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 377 भा0द0वि0 के अपराध में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

❖

❖ ***पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान***

❖ ***अभियान के तहत जनपद से कुल 197 वाहनों से 2,13,500 रु0 वसूला गया जुर्माना***

❖ ***विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस व स्कूली बच्चो द्वारा संयुक्तरुप से बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को किया गया जागरुक***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनाँक 19.09.2025 को जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया । यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर स्कूली बच्चों के सहयोग से लोगों को हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट लगाकर चारपहिया वाहन चलाने हेतु प्रेरित किया।

अभियान के दौरान संतकबीरनगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद से 03 वाहनों से 1500 रुपए, थाना दुधारा से 07 वाहनों से 8,000 रुपए, थाना धनघटा से 04 वाहनों से 4,000 रु0, थाना महुली से 18 वाहनों से 18,000 रु0, थाना मेंहदावल से 05 वाहनों से 5,000 रु0, थाना बखिरा से 15 वाहनों से 14,500 रु0, थाना बेलहरकला से 05 वाहनों से 5000 रु0 व यातायात पुलिस द्वारा 140 वाहनो से 1,57,500 रुपए जुर्माना वसूला गया साथ ही वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया कि वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें।